परीक्षा में हजारों रुपयों के गबन और अन्य अनेक अनियमितताओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). 26 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6786 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अपेक्षित सूचना लोक सभा को भेज दी गई थी।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की आयु

8514. **श्री शशि भूषण :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने अधिक समय तक सेवा में बने रहने के उद्देश्य से अपनी आयु कम दिखा रखी है ;

(ख) क्या मैट्रिक का प्रमाणपत्र सरकारी सेवा के प्रयोजनार्थ आयु का पर्याप्त सबूत नहीं है ;

(ग) क्या उम्मीदवारों द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा की परीक्षा देते समय दी गई आयु सही नहीं समझी जाती है ;

(घ) क्या जन्मपत्री अथवा मैट्रिक का प्रमाणपत्र सेवा के प्रयोजनार्थ आयु का पक्का सबूत समझा जाता है ;

(ङ) मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों की आयु के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(च) ऐसे अन्य मुख्य न्यायाधिपतियों अथवा न्यायमूर्तियों की संख्या कितनी है जिनकी आयु के बारे में, सरकार के समक्ष सन्देह व्यक्त किये गये हैं तथा उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के दो मामले सरकार के ध्यान में आये जिनमें सरकारी अभिलेखों में दर्ज उनकी जन्मतिथि के बारे में प्रश्न उठाया गया था। एक मामले में न्यायाधीश की आयु के बारे में संविधान के अनुच्छेद 217(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा फैसला किया गया था। दूसरे मामले में न्यायाधीश ने आयु-निर्धारित होने से पूर्व ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था।

(ख) मैट्रिक का प्रमाणपत्र सरकारी सेवा के प्रयोजनार्थ आयु का पर्याप्त सबूत माना जाता है।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के लिये दिये गये आवेदन पत्र में दी गई आयु को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि उसके समर्थन में लिखित साक्ष्य पेश न किये जायें।

(घ) सरकारी सेवा के लिये जन्म पत्री तथा मैट्रिक के प्रमाण पत्र दोनों ही को समान रूप से आयु के सबूत में स्वीकार किया जाता है।

(ङ) सरकार को इस बारे में सन्तोष है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सरकारी अभिलेखों में दर्ज आयु सही है।

(च) अब तक 17 मामलों (मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के मामले को मिला कर) में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की आयु में संशोधन के बारे में विचार करना पड़ा। पांच मामलों में संशोधित जन्मतिथियां स्वीकार कर ली गई हैं। अन्य 11 मामलों में पहले से सरकारी रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथियों को सही मान लिया गया। शेष एक मामले में संबंधित न्यायाधीश ने सही जन्म तिथि के निर्धारण से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया।